वाद सं0–M- 151/2016
धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

दुलाल महतो वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

पशुपति महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष

	आदेश
14-07-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–07/2016 दिनांक–30/05/2016 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही– गवाह सं०–01(चन्द्र मोहन महतो) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष को मैं जानता हूँ, उभय पक्ष में जमीन विवाद लेकर झगड़ा है। विवादित जमीन में घेरा करने को लेकर झगड़ा है, घेरा द्वितीय पक्ष के लोग दे रहे थे। प्रथम पक्ष के मना करने पर झगड़ा प्रारंभ हुआ, विवादित 14 डी० में दोनों भाई का बराबर हिस्सा है या नहीं मैं कह नहीं सकता। केस होने के बाद उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। गवाह सं०–02(दुलाल महतो, पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर द्वितीय पक्ष लड़ाई झगड़ा करता है। विवादित जमीन खतियानी है, उक्त जमीन मुझे बंटवारा में मिला है। कुल रकवा 22 एकड़ जमीन का बंटवारा उभय पक्ष में हो चुका है। द्वितीय पक्ष जबरजस्ती मेरें हिस्से की जमीन को घेरा कर रहा था उसी को लेकर केस हुआ है। जमीन का बंटवारा हमलोगों में हुआ है लेकिन प्लॉट नं०–783 के बदले में मुझे कहीं जमीन नहीं मिला है। प्लॉट नं०–783 में मुझे बंटवारा मिला है लेकिन बंटवारा का कागज नहीं बना है। द्वितीय पक्ष गवाही– गवाह सं०–01(दयाल राम महतो) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि जगह जमीन का विवाद है, विवादित जमीन का खाता नं०–41, प्लॉट नं०–783, रकवा–14 डी० है। विवादित जमीन बपौती जमीन है, खरीदा हुआ जमीन दूसरी जगह पर है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को मार–पीट नहीं किया है उभय पक्ष में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं

14-07-2017

हुआ है। आपस में बाता बाती हुआ है। मैं दोनों पक्ष के बीच बाता–बाती का झगड़ा देखा हूँ उभय पक्ष में बढ़िया से हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों पक्ष में अगर बराबर–बराबर हिस्सा अमीन द्वारा कर दिया जाए तो झगड़ा खतम हो जाएगा।

गवाह सं०–02 (पशुपति महतो, पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष जमीन को लेकर केस किया है केस किया हुआ जमीन कोलमा मौजा में है खाता नं०–41, प्लॉट नं०–783, रकवा–14 डी०। उभय पक्ष में जमीन का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा 2014 से हम दोनों के बीच चल रहा है। विवादित प्लॉट उभय पक्ष का खतियानी जमीन है। हमलोग दोनों ही पक्ष इस जमीन पर बराबर हिस्सेदार हैं, मैं 7 डी० से ज्यादा जमीन में दखल करना चाह रहा हूँ इसलिए यह केस न्यायालय में चल रहा है, यह विवाद जमीन का विवाद है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन बंटवारा को लेकर विवाद है। उभय पक्ष सहोदर भाई है। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष में शांति भंग नहीं हुई है तथा भविष्य मे भी शांति भंग होने की सभावना की पुष्टि वाद की कार्रवाई के दौरान नहीं की गई। चूँकि जमीन बंटवारा हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/7/17

कार्यपालक दण्डाधिकरी,
बुण्डू(राँची)

14/7/17

कार्यपालक दण्डाधिकरी,
बुण्डू(राँची)